ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00006

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 109 / 1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11 / 14)

1. मुकनन्द सिंह पुत्र बिसन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 40 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र श्री मंगा सिंह जाति रामगढियासिंख निवासी चक 40 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता
2. प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित नहीं

आदेश **दिनांक : 27.10.2020**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि अप्रार्थी ने दिनांक 26.02.1982 को उपजिलाधीश, रायसिंहनगर कैम्प खांटा में तथ्यों को छुपाकर तथा अदालत को धोखा देही देकर वाके चक 40 पी.एस. के मुरब्बा नम्बर 96 की 5 बीघा जमीन नहरी का आवंटन कराया है जो निम्न आधारों पर खारिज किये जाने के काबिल है:–

1. अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो कि उपजिलाधीश रायसिंहनगर के समक्ष आराजी आवंटन हेतु दिया में अपनी माता द्वारा प्राप्त की गई आराजी का कोई ब्यौरा नहीं दिया नहीं दिया जबकि उसकी माता के नाम से वाक चक 40 पीएस में 25 बीघा नहरी जमीन पुख्ता आवंटित शुदा है तथा अप्रार्थी की माता का देहान्त हुए करीब 3 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अगर अप्रार्थी अपनी माता से प्राप्त आराजी का विवरण अपने प्रार्थना पत्र में करता तो उसे यह जमीन आवंटित नहीं हो पाती।
2. अप्रार्थी अदालत उपजिलाधीश रायसिंहनगर को जो प्रार्थना पत्र आवंटन आराजी बाबत दिया उसमें अपने आपको अनत्योदयी परिवार का सदस्य होना जाहिर किया है तथा अन्तोदयी परिवाद का सदस्य मानकर ही इसे 5 बीघा अराजी का आवंटन किया गया है। सच बात यह है कि अप्रार्थी न तो अन्तोदेयी परिवाद का सदस्य ही है तथा न ही इस सम्बन्धमें किसी प्रकार की कोई जांच आवंटन अधिकारी ने ही की है,ऐसी सूरत में अप्रार्थी द्वारा गलत तरीके से यह आवंटन कराया गया है जो कि खारिज करने के काबिल है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3. अप्रार्थी 30 वर्षीय नवयुवक है तथा भूमिहीन कृषक नहीं है धोखा देही देकर यह आवंटन कराया है जो खारिज करने के काबिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन दिनांक 26.05.1982 बअदालत उपजिलाधीश रायसिंहनगर वाके चक खाटा में अप्रार्थी के नाम किया गया है को मन्सूख किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व सरकार को धोखा देने व गलत आवंटन करवाने के बाबत मुकदमा दर्ज किया जाकर दण्डित किया जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 26.04.1982 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा किया गया। कार्य विभाजन आदेश दिनांक 3.11.1992 से पत्रावली जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर प्राप्त हुई। आदेशिका दिनांक 23.09.1992 से जिला कलक्टर महोदय के आदेशो की पालना में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर न्यायालय में हस्तांतरित की गई। पत्रावली जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पंजीबद्व की जाकर पेशी में ली गई।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 23.09.1992 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/6061 दिनांक 26.07.2002 की बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चक 40 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1,2,9,10,12 में 1.265 हैक्टर नहरी रकबा श्री हरीसिंह वल्द भाग सिंह जाति तरखान के नाम से आवटन शुदा गैरखातेदारी है। मौके पर हरीसिंह पुत्र भागसिंह का कब्जा काश्त है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो की अप्रार्थी हरीसिंह वल्द भागसिंह कौम तरखान के नाम आवंटन शुदा रकबा अन्तोदय परिवार हेतु आवंटित है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट कमांक भू0अ0/6061 दिनांक 26.07.2002 द्वारा चक 40 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1,2,9,10,12 में 1.265 हैक्टर नहरी रकबा श्री हरीसिंह वल्द भाग सिंह जाति तरखान के नाम से आवटन शुदा गैरखातेदारी है। शिकातयकर्ता द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र की नकल पेश की है जिसमें अन्तोदय योजना में चयनित है अंकित है। परन्तु तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह जिक नहीं किया है कि अप्रार्थी अन्तोदेयी योजना में चयनित है या नहीं। अतः शिकायत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत अन्तोदयी योजना में चक 40 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1,2,9,10,12 में 1.265 हैक्टर नहरी रकबा के आवंटन की है। अप्रार्थी अन्तोदेयी योजना में चयनित है या नहीं ? इसका कही कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी को उक्त रकबा वर्ष 1982 में आवंटित हुआ है जिसे आवंटित हुए करीब 40 वर्ष हो चुके है। जमीन के विवाद पर कम अन्य तथ्यों पर अधिक जोर दिया गया है जिसका कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी नन्दलाल की माता मिलखी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हरियाणा सरकार से बेसहारा वृद्व पेन्शन गांव मुहमदपुर रोही तहसील फतेहबाद जिला हिसार से भी उठाती है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 द्वारा चक 37 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 26 में 1.710 हैक्टर नहरी भूमि मिलखी बेवा दुल्ला व नन्दलाल पुत्र दुल्हा को आदेश कमांक 7532 दिनांक 21.10.1976 मिलखी बेवा दुल्हा व नन्दलाल पुत्र दुल्हा कोम कापड़िया को चक 41 पी.एस. में मुरब्बा नम्बर 2 में 4.504 हैक्टर नहरी आवंटन है जो एक मुरब्बा भूमि से कम है। प्रार्थी परिवादी ने अन्तोदयी योजना में आवंटित होना अंकित कर कोई भी साक्ष्य ऐसा पेश नहीं किया गया जिससे प्रमाणित होता हो कि अप्रार्थी अन्तोदय योजना में चयनित है या नहीं। साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थी का आवेदन ग्राहय नहीं है। लगभग 35–40 वर्ष की लम्बी अवधि आवंटन के बाद से व्यतीत हो जाने के उपरान्त इस स्टेज पर आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में ऐसा कोई रेकार्ड व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं इसलिए बिना आधार व सबूत के पेश की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

((डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner